76 IV

IN-UP34975191057562Y

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP34975191057562Y
Certificate Issued Date	:	13-Oct-2026 01:00 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14328004/ MACHHLI SHAHAR/ UP-JNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14328004601888311482 83Y
Purchased by	:	SOCIAL WELFARE SOCIETY TRUST MANAGER PRASHANT
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of - Registerable
Property Description	:	JAHANSAPUR GHISUWA MACHHALI SHAHAR JAUNPUR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SOCIAL WELFARE SOCIETY TRUST MANAGER PRASHANT
Second Party	:	
Stamp Duty Paid By	:	SOCIAL WELFARE SOCIETY TRUST MANAGER PRASHANT
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	850 (Eight Hundred And Fifty only)

USE Name Subesh Chandra Tiwa
ADC Code U. P. 1432800
USE Add Registry Off. M /Shahr
License No 360-Distt Jaun
Mob. No. - 9935715656

13/10/26

Please write or type below this line

0042214676

Statutory Alert

(1) No amount other than the value printed on the e-Stamp is payable in any form for the purchase of e-Stamp. (2) If the above information regarding details of this e-Stamp is found to be false or incorrect, it shall be personally responsible for the same. (3) The authority before whom the deed is presented shall ensure that the e-stamp is being used only for the purpose and in the name for which it was purchased. (4) The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using



ट्रस्ट/न्यास डीड (दस्तावेज)
सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट

जहॉसापुर, पोस्ट–खजुरहट, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर, उत्तर प्रदेश–222143

ई–स्टाम्प अदा–मु0–850/–रु0

ई–स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0–IN-UP३५९७८१९१०५७५६२५

मै **प्रशांत कुमार पटेल पुत्र रणजीत पटेल निवासी ग्राम–जहॉसापुर, पोस्ट–खजुरहट, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर** उत्तर प्रदेश–222143 का निवासी हूँ। जो कि ट्रस्ट दस्तावेज अपने हस्ताक्षरों से निष्पादित करता हूँ।

1. यह लोक कल्याणकारी एवं मानवता प्रेमी न्यास/ट्रस्ट का निर्माण एवं स्थापना वर्ष **09.06.2026** को किया गया। यह न्यास/ट्रस्ट **सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा। इस न्यास का उद्देश्य के विभिन्न उद्देश्यों को बढ़ावा देना जैसे स्वास्थ्य विज्ञान, नैतिक, मूल्यों, कला साहित्य पर्यावरण एवं भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का निर्वाह करना है।

2. **ट्रस्ट न्यास की विविध प्रतिबद्धता–**

सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्टएक्ट 1882 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया जा रहा है। उक्त ट्रस्ट पर ट्रस्ट एक्ट 1882 के सभी नियम/उपनियम लागू होगें जो कि इस ट्रस्ट एक्ट के लिए आवश्यक है और और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। **सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट** उनके अनुपालन में सदैव प्रतिबद्ध है।



न्यास ट्रस्ट के न्यासकर्ता के द्वारा घोषणा की जाती है कि रुपया 11000/– (ग्यारह हजार रुपया) से इस ट्रस्ट की स्थापना की गयी है जो कि न्यास/ट्रस्ट के न्यास सदस्यों द्वारा प्राप्त हुई है। आगे यह घोषणा की जाती है कि जो भी दान, अनुदान, चाहे रुप में नकद धनराशि अथवा सम्पत्ति प्राप्त होगा उसका उपयोग लोक कल्याणकारी मानव भलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, धार्मिक स्थल एवं अन्य कल्याणकारी में उपयोग किया जायेगा उसका उल्लेख रजिस्टर्ड में अंकित होगा तथा **सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट** के बैंक खाते में जमा किया जायेगा। संस्थापक न्यास/ट्रस्ट **सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट** के नाम उपरोक्त धनराशि सौंप चुका है तथा न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं संचालन के हेतु समर्पित है। न्यास/ट्रस्ट के उद्देश्य को संचालित करने के लिए नियुक्त **संस्थापक/अध्यक्ष** न्यास/ट्रस्ट पहले से ही अपनी सहमति व्यक्ति कर चुका है और **य सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट** बैधानिक रुप से 11000/–(ग्यारह हजार रुपये) से अपने अपना मालिकाना अधिकार रखता है न्यास/ट्रस्ट के समुचित एवं स्थायी सुरक्षा की दृश्टि से न्यासी प्रथम **संस्थापक/अध्यक्ष** की नियुक्ति ट्रस्ट के सदस्यों की सहमति से की गयी है। न्यास/ट्रस्ट की औपचारिक दस्तावेज को क्रियान्वित करने के लिए यह समझा जाता है कि न्यास/ट्रस्ट निश्चित शर्तो के साथ **संस्थापक/अध्यक्ष** को अपना अधिकार प्रदान करती है। न्यास/ट्रस्ट के संस्थापको द्वारा इस दस्तावेज को गवाहों के समक्ष निम्निलिखित रुप से प्रेषित की जाती है।

1. रुपये 11000/–(ग्यारह हजार रुपये) न्यास/ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी
2. ट्रस्ट सम्पत्ति का अर्थ होगा ट्रस्ट को जो भी अनुदान दान के रुप में नगद धनराशि अथवा सम्पत्ति प्राप्त होगी वह सभी रकम ट्रस्ट की होगी उसके अतिरिक्त समय–समय पर किसी क्षेत्र से प्राप्त की गई धनराशि एवं दानदाताओं स्वयं सेवी संगठनो संस्था/सोसाइटी द्वारा प्राप्त रकम या सम्पत्ति न्यास/ट्रस्ट की होगी।
3. ट्रस्ट/न्यास पर प्राविजन इनकमटैक्स एक्ट 1961 की सभी शर्ते लागू होगी। उपरोक्त न्यास/ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो न्यासी ट्रस्ट बनाये गये है वे निम्नलिखित है।

आवेदन सं०: 202600983009087

न्यास पत्र

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 76 वर्ष: 2026

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 850 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतितिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580





श्री प्रशांत कुमार पटेल ,
पुत्र श्री रणजीत पटेल
व्यवसाय : कृषि
निवासी: निवासी ग्राम जहांसापुर पोस्ट खजुरहट परगना मधिसुआ तहसील मछलीशहर जिला जौनपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 13/10/2026 एवं 04:27:53 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिमा . .
उप निबंधक :मछलीशहर
जौनपुर
13/10/2026

विनोद कुमार मौर्य
निबंधक लिपिक
13/10/2026

4. न्यास के प्रथम न्यासी होंगें :–

क्र0	नाम ट्रस्टी	पिता / पति	पद	पता
1	श्री प्रशांत कुमार पटेल	श्री रणजीत पटेल	संस्थापक / अध्यक्ष	ग्राम–जहांसापुर पोस्ट–खजुरहट, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उत्तर प्रदेश–222143
2	निलेश कुमार	उदय राज	कोषाध्यक्ष	ग्राम–जहांसापुर पोस्ट–खजुरहट, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उत्तर प्रदेश–222143
3	श्रीमती नेहा सिंह	श्री प्रशांत कुमार पटेल	उपाध्यक्ष	ग्राम–जहांसापुर पोस्ट–खजुरहट, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उत्तर प्रदेश–222143
4	श्री सुनील कुमार	श्री बनारसी दास	सचिव	निवासी 9 / 232 योजना 3 आवास विकास कालोनी झूंसी इलाहाबाद – 211019

सदस्य

1	श्री आशीष कुमार पटेल	श्री लालता प्रसाद	सदस्य	ग्राम–जहांसापुर पोस्ट–खजुरहट, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उत्तर प्रदेश–222143

5. ट्रस्ट में साधारण सभा के न्यासी सदस्य होंगे जिनका मनोनय / नियुक्ति 500 / – रू0 की सदस्यता शुल्क लेकर किया जायेगा।

6. **ट्रस्ट / न्यास का नाम– सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट**

7. **ट्रस्ट / न्यास का स्थायी पता**–ग्राम–जहॉसापुर, पोस्ट–खजुरहट, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उत्तर प्रदेश–222143

8. **ट्रस्ट / न्यास का कार्यक्षेत्र**–सम्पूर्ण भारत

9. **न्यासधारी ट्रस्टी –** **सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट स्थायी** ग्राम–जहॉसापुर, पोस्ट–खजुरहट, तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उत्तर प्रदेश–222143

10. **ट्रस्ट न्यास का स्वरुप**– यह ट्रस्ट / न्यास एक चैरिटेबुल संस्था है जो जाति धर्म, राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेगी।

आवेदन सं०: 2026[illegible]

बही सं० 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 76 वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री प्रशांत कुमार पटेल, |PRASHANT KUMAR PATEL




पुत्र श्री रणजीत पटेल

निवासी: निवासी ग्राम जहांसापुर पोस्ट खजुरहट परगना मघिसुआ तहसील मछलीशहर जिला जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान पहचानकर्ता : 1

श्री अमर प्रसाद , पुत्र श्री शम्भूनाथ Amar Prasad




निवासी: निवासी ग्राम जहांसापुर पोस्ट खजुरहट परगना घिसुआ तहसील मछलीशहर जिला जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री राज नारायण पटेत , पुत्र श्री बृज ताल पटेत




निवासी: निवासी ग्राम जहांसापुर पोस्ट खजुरहट परगना मघिसुआ तहसील मछलीशहर जिला जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिमा
उप निबंधक : मछलीशहर
जौनपुर
13.10.2026

विनोद कुमार मौर्य
निबंधक लिपिक जौनपुर
13.10.2026

ने की । प्रत्यक्षत भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी:

11. लाभग्राही – हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समस्त लोगो को बिना किसी भेद–भाव के सामान्य विकास एवं पशु, पक्षी वनस्पितियों के विकास एवं कल्याण कें लिये कार्य करेगी।

12. ट्रस्ट के उद्देश्य –

1. सामाजिक विकास के लिए भारत वर्ष के निरीह और जरुरत मन्द बच्चो के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तो में अपने भिन्न–भिन्न बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का संचालन करना एवं उसकी प्रबन्ध समितियों का गठन करना तथा प्रबन्ध समितियो संस्था का संचालन करना
2. सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, व्यायामशाला, अस्पताल तथा प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, सी.बी.एस.सी. बोर्ड, आई.सी. एस.सी.ई. बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाविद्यालय (कला विज्ञान, वाणिज्य, कृशि विधि) अभियान्त्रिक कालेज, मेडिकल कालेज, सामाजिक शिक्षा, बी.एड., एम. एड, बी. पी.एड. डी.एड. बी.टी.सी. मैनेजमेन्ट कोर्स, एम.बी.ए. पी.जी. डी0बी0एम.एम., पी. एम., एम.एस.एस., बी.बी.ए., होटल मैनेजमेन्ट डिप्लोमा एवं डिग्री इंजिनियरिंग कालेज, आवासीय विद्यालय, मूक–बधिर, विकलांग केन्द्र, छात्रा वास, अनाथालय, धार्मिक (हिन्दू धर्म), सांस्कृतिक तथा केन्द्र व पशु चिकित्सालय, गो–सेवा–सदन, शिक्षा केन्द्र आदि की स्थापना एवं उसका संचालन करना।
3. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, महिलाओं पुरुषों के शैक्षिक सामाजिक आर्थिक व स्वास्थ्य के विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कृषि विकास, पशुपालन, पर्यावरण, भूमि सुधार, सिंचाई,
4. पेयजल, नशा बन्दी निवारण, सामाजिक कुरीतियों, सम्प्रदायिकता निवारण, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता का विकास आकस्मिक दुर्घटना में सहायता, महिला उत्पीड़न का विरोध व प्रताड़ित महिलाओं का संरक्षण अनाथ बच्चों के शिक्षाओं का संरक्षण व पोषण परम्परागत चिकित्सा प्रणाली का विस्तार आदि कार्यक्रम चलाये जायेगे।
5. समय–समय पर मिटिंग गोष्ठी, सेमीनार, अधिवेशन, प्रर्दशनी और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

5. देश के होनहार प्रतिभाओं, सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में एवं उत्कृष्ठ सेवाओं में ईमानदार अधिकारियों कर्मचारियों को उत्साह वर्धन के लिए नागरिक सम्मान व प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार प्रदान करना।

6. ट्रस्ट अपने स्वाबलम्बन कार्यक्रम के संचालन के लिए जनता व्यापारिक प्रतिष्ठानों, जिला प्रशासन राज्य सरकार केन्द्र सरकार एवं सरकारों के अधीन विभिन्न मन्त्रालयों व अन्तराष्ट्रीय एजेन्सियों से चन्दा दान अनुदान प्राप्त करेगा।

7. निराश्रित एवं जरुरतमन्दों की मदद करना, न्यास/ट्रस्ट द्वारा जरुरत मन्दों को स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान करेगा।।

8. दलित एवं अति पिछड़ी जातिओं अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कार्य करेगा।

9. समाज में कमजोर वर्ग, महिलाओं विकलांगों एवं बच्चो के सर्वागीण विकास के लिए कार्य करेगा ।

10. समाज में व्याप्त बुराइयों एवं कुरीतियों का प्रबल विरोध करना एवं व्यक्तियों के सांस्कृति तथा चारित्रिक निर्माण के लिए प्रयास करेगा।

11. मद्यमान एवं नशाखोरी के प्रभाव से युवको को निकालकर पुनर्वास की व्यवस्था करेगा।

12. सभी को स्वास्थ्य समृद्धि एवं स्वालम्बन की व्यवस्था के लिए कार्य करना तथा स्वदेशी की अवधारणा पर खादी एवं ग्रामोद्योग का विकास करना एवं इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

13. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं कृषकों के उत्थान के लिए तथा टिकाऊ कृषि प्राद्योगिकी का विकास करना तथा कृषको को सब्जी एवं फल प्रसंस्करण के लिए प्रेरित करना एवं प्रशिक्षित करना कृषि आधारित उद्योग के प्रचार प्रसार एवं स्थापना हेतु उपर्युक्त प्रात्रों को परामर्श एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।

14. प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा,महामारी, भूकम्प से पीड़ितों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायेगा। समय–समय पर मानव संसाधन विकास

मंत्रालय, केन्द्रीय समाज कल्याण परिशद, स्वास्थ्य विभाग, संस्थाओं से सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगा।

15. मातृ, शिशु, कल्याण, जनसंख्या नियंत्रण एवं टीकाकरण कार्य के लिए कार्य करना तथा प्रचार–प्रसार करेगा।

16. ग्राम स्तर पर उत्पादित वस्तुओं हस्तकला सामाग्रियो कताई–बुनाई, सिलाई–कढ़ाई, इत्यादि के निर्माण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगा।

17. जैविक खेती द्वारा सब्जी, फल एंव अनाज, का उत्पादन कराकर एंव फसलो मे रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न कीटो (फसल मित्र) का प्रयोग करना रासायनिक विशाक्तता की मुक्ति के लिये प्रयत्न करेगा।

18. गो वंश, संरक्षण, संवर्धन एंव विकाश की दिशा मे कृषको एंव जनमानस की भागीदारी को बढाने के लिये कार्य करेगा।

19. सामाजिक वानिकी, कृर्षि वानिकी, द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एंव प्रदूषण नियंत्रण तथा भारतीय जीव जन्तु कल्याण एंव अन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन के लिये कार्य करेगा तथा संरक्षण एवं सघन वृक्षारोपड को बढ़ावा देगा।

20. जगह–जगह पर बनौषधिक उद्यानो की स्थापना करा कर औषधियों (विशेषतः लुप्त प्रायः) का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जागरुकता पैदा करायेगा।

21. गैर पारम्परिक ऊर्जा क्षेत्रो का विकाश एवं प्रचार–प्रसार करेगा।

22. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रो का सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक दृष्टि से सर्वेक्षण करेगा तथा न्यूज पत्र (समाचार पत्र) सम्पादित करेगा।

23. खेल कूद पर्यटन योग, या लोकगीत लोक सांस्कृति एवं परम्पराओं का प्रचार–प्रसार एवं विकाश करेगा।

24. विभिन्न प्रकार के सूचनाए जैसे–सांस्कृति, वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि एकत्र करना तथा कार्यशालाओ का आयोज कर इन सूचनाओ को जन सामान्य तक पहुँचायेगा।

25. शासन स्तर पर से हो रहे ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण के प्रयासो का प्रचार–प्रसार करना एवं उन दिशा मे आने वाली समस्याओ का निराकरण करने मे सहयोग करेगा।

26. अन्य सभी कार्य करना जिससे जन सामान्य की भलाई एवं कल्याण हो।

27. विभिन्न कार्यो के निस्पादन के लिये अन्य संस्थाओ की स्थापना करेगा। जो इस सस्था के अर्न्तगत कार्य करेगी।

28. किसी ट्रस्ट के सदस्य के आकस्मिक निधन और प्राकृतिक आपदा पुत्री के विवाह, बड़ी बीमारी पर ट्रस्ट के सदस्यो के माध्यम से सहायता राशि प्रदान (अनुदान) की जायेगी।

13. ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति :–

ट्रस्ट/न्यास की प्रशासन समिति मे दस्तावेज मे निम्नलिखित/ पदाधिकारी/संस्थापक ट्रस्टी एवं मुख्य ट्रस्टी आजीवन सदस्य रहेंगे। इनमे से किसी का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेंगे।

14. प्रबन्ध समिति मे उत्तरदायी पद :–

ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति मे उत्तरदायी पद ट्रस्टी मुख्यट्रस्टी/प्रबन्धक ही होगे इस ट्रस्ट के प्रबन्धक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगे। प्रबन्धक की गैरमौजूदगी में ट्रस्ट का सम्पूर्ण देखभाल जो अधिकार प्रबन्धक को प्राप्त है वह अधिकार उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष को प्राप्त होगा।

ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि किसी भी प्रदाधिकारी अथवा सदस्य की संख्या को नियमानुसार घटा–बढ़ा सकता है, तथा पदाधिकारी व सदस्यों को ट्रस्ट के नियानुसार कार्य न करने पर ट्रस्ट से निष्कासित करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को प्राप्त होगा। मुख्य ट्रस्टी व अध्यक्ष की मृत्यु के उपरान्त वंशानुगत वारिस ही ट्रस्ट का देखभाल करेगा।

15. ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता :–

ट्रस्ट/न्यास की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार की होगी।

1. संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल एवं सुविधायें

सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट इस ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक/अध्यक्ष ट्रस्टी [redacted] जिन्हे अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी के अलावा किसी भी प्रकार के ट्रस्टी को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है।

एवं ट्रस्ट/न्यास के संचालन एवं नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त इन दोनों ट्रस्टीयों मे से यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उनके उत्तराधिकारी या उनकी सहमति से कोई एक उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेगें ये दोनों आजीवन ट्रस्टी होगे। एवं संस्थापक टस्ट्रियों को ट्रस्ट द्वारा कार्यालय सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

2. **मुख्य ट्रस्टी/न्यासी** :–मुख्य ट्रस्टी संस्थापक ट्रस्टी के कार्यो में सहयोग करेगें तथा अपनी राय व्यक्त करेगे। मुख्य ट्रस्टी का स्थान रिक्त होने पर उनके उत्तराधिकारी उनका स्थान ग्रहण करते रहेगे।

3. **सहयोगी ट्रस्टी/न्यासी** :–जो व्यक्ति ट्रस्ट/न्यास को एक हजार रुपयें (501/) वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करेगा वह एक वर्ष के लिए सहयोगी ट्रस्टी/न्यासी होगा इसके लिए संस्थापक ट्रस्टीयों की अनुमति लेना आवश्यक होगा।

6. **ट्रस्टी/न्यासी की सदस्यता समाप्ति**–पागल होने दिवालिया होने मृत्यु होने पर या किसी न्यायालय द्वारा सजा पाने या त्यागपत्र देने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगा। या ट्रस्टी/न्यासी सदस्य ट्रस्ट के खिलाफ काम करने पर प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निलंबित किये जा सकते है।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी।
7. ट्रस्ट/न्यास के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों व मुख्य समितियों का गठन करना उनके व उन्हे अधिकार प्राप्त कराना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकार को वापस लेना।
3. ट्रस्ट/न्यास द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों संस्थाओं व परियोजनाओं को अलग–अलग समयानुसार चालू कराने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत करना।
4. ट्रस्ट/न्यास की ओर से किसी भी प्रकार की अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए या वाद–विवाद के पैरवी करने के लिए किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा किसी जॉच पड़ताल के लिए ट्रिबुनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही कराना।
5. वार्षिक आय–व्यय का लेखा–जोखा स्वीकृत करना, तथा आगामी बजट तैयार कराना।



6. ट्रस्ट/न्यास के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई करना व उस पर निर्णय देना।

7. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट/न्यास के नियम और उपनियम बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना।

7. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट बोर्ड सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय के लिए सक्षम होगी। जो अध्यक्ष/प्रबन्धक की सहमति से आवश्यकता अनुसार महसूस किये जायेगे।

18. ट्रस्ट/न्यास अध्यक्ष के कर्तव्य एवं अधिकार :–

ट्रस्ट/न्यास अध्यक्ष ही ट्रस्ट/न्यास के मुख्य अधिकारी होगे। जो ट्रस्ट/न्यास के उद्देश्यो के प्रति समर्पित होगे। न्यासकर्ता ही ट्रस्ट/न्यास की प्रथम आजीवन ट्रस्ट्री/न्यास अध्यक्ष होगें।

ट्रस्ट/न्यास अध्यक्ष अपने उत्तराधिकारी को अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी अध्यक्ष मनोनीत कर सकता है। एवं नियमित रुप से ट्रस्ट/न्यास की बैठक बुलाना और अध्यक्षता करना न्यास ट्रस्ट के चल अचल सम्पत्ति का स्थानान्तरण करना खरीना व बेचना बैंक खाते का संचालन कार्य मुख्य न्यासी/अध्यक्ष करेगें। अध्यक्ष गैर मौजूदगी में ट्रस्ट/न्यास की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति ही करेगा तथा ट्रस्ट के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से अथवा किसी सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था द्वारा ऋण ट्रस्ट के बिना अध्यक्ष के लिखित सहमति पत्र के कोई भी न्यासी नही ले सकता है।

17. ट्रस्ट/न्यास प्रबन्धक के कर्तव्य एवं अधिकारः–

ट्रस्ट/न्याय सदस्यों द्वारा ट्रस्ट/न्यास के प्रति असहयोग करने या पागल होनें पर दीवालिया होने पर मृत्यु होने पर सारा विशेषाधिकार अध्यक्ष का होगा ट्रस्ट के किसी गमन में न्यायालय द्वारा सजा पाने पर न्यास की सदस्यता समाप्त कर सकता है ट्रस्ट/न्यास का प्रशासनिक कार्य प्रबन्धक द्वारा सम्पादित होगा एवं ट्रस्ट/न्यास के संचालन एवं नियन्त्रण का सर्वाधिकार प्राप्त होगा किसी ट्रस्टी/न्यासी के पूर्ति के लिए मनोनयन करना, कर्मचारी की नियुक्ति करना, बेतन बृद्वि करना ,तथा बहाली करना,

तथा प्रबन्धकारिणी के समस्त प्रस्ताओं को कार्य रुप सें प्रस्तावित करना अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित व्यक्ति की अनुमत से ही संस्थापक/प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

18. **मुख्य ट्रस्टियों के अधिकार एवं कर्तव्य** : –

मुख्य ट्रस्टी संस्थापक/प्रबन्धक के समक्ष अपने विचार रखेगे और निर्णय लेने में संस्थापक/प्रबन्धक की मद्द करेगें। प्रबन्धकारिणी समिति आम सहमति एवं संस्थापक सदस्यों के सहमति से मुख्य ट्रस्टियों की संख्या घट व बढ़ सकती है व सचिवो की नियुक्ति कर सकती है।

19. **सहयोगी ट्रस्टी**:–ट्रस्ट/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं की समितिओं उपसमितियों/पदाधिकारियों के रुप रखे जायेगे और व सौपे गये कार्यवाही को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगे।

20. **ट्रस्ट/न्यास के सामान्य नियम**:–

1. ट्रस्ट/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति में एक सदस्य होगे जिनमें ट्रस्ट अध्यक्ष, ट्रस्ट प्रबन्धक दो पदाधिकारी होगे जो ट्रस्ट/न्यास के संचालन के लिए उत्तरदायी होगे। ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संस्थापक/प्रबन्धक होगे।
2. ट्रस्ट/न्यास की कार्यवाही के प्रारम्भ में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होगे व अन्त में ट्रस्ट अध्यक्ष एवं ट्रस्ट प्रबन्धक के हस्ताक्षर होगे।
3. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना सामान्य रुप से एक सप्ताह पूर्व एजेण्डा द्वारा प्रमाणित संसाधन द्वारा की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक बैठक 24 घण्टे में बुलाया जा सकती है जो अध्यक्ष एवं संस्थापक की सहमति से होगी।
4. ट्रस्ट/न्यास में ट्रस्ट/न्यास ट्रस्टी सदस्यों की संख्या कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 12 होगी।
5. प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्तावित एजेण्डा में यदि कोई प्रस्ताव नही है और उसको समिति में रखना है तो अध्यक्ष की अनुमति से रखा जा सकता है।

8. आम सहमति से निर्णय न होने पर निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। समान मत पड़ जाने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।



8. ट्रस्ट/न्यास का वार्शिक अधिवेशन एवं समय–समय पर आडिट करना प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के निर्देशो पर होगा।

21. **ट्रस्ट/न्यास के दस्तावेजों में संशोधन** :– ट्रस्ट/न्यास यदि यह महसूस करता है है कि इसके दस्तावेज में किसी धारा में संशोधन परिवर्तन आवश्यक है तो वह संस्थापक सदस्यों की अनुमति से कर सकता है।

22. **ट्रस्ट/न्यास का कोष** :–ट्रस्ट/न्यास कोष उचित नियंत्रण रखने हेतु मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों में संस्थापक/अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ट्रस्ट न्यास का खाता खोला जायेगा।

ट्रस्ट/न्यास का निजी खाता होगा एवं विदेशी सहायता के लिए एक अलग से खाता होगा खाते का संचालन अध्यक्ष/प्रबन्धक के हस्ताक्षर सें संचालित होगा।

23. **विवादित स्थित में निर्णयः** ट्रस्ट/न्यास में से किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित होने पर ट्रस्ट/न्यास के संस्थापक ट्रस्टियों को ट्रस्ट के दस्तावेजों के मुताबिक समस्त अधिकार प्राप्त होगे और ट्रस्ट में संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होगे

तथा अध्यक्ष ट्रस्ट की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के लिए अलग से ट्रस्टियों को मनोनीत कर सकेगे और ट्रस्ट/न्यास की समस्त चल अचल सम्पत्ति के नियन्त्रण व सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होगे। ऐसी परिस्थिति में अन्तिम प्रबन्धकारिणी समिति एवं अध्यक्ष का निर्णय मान्य होगा। किसी भी परिस्थितियों में कोई भी ट्रस्टी सदस्य किसी भी न्यायालय में मुकदमा दाखिल नही कर सकता है। यह ट्रस्ट/न्यास तथा उससे संचालित सभी संस्थाओं पर लागू होगा।

सचिव/उपसचिवों की नियुक्तिः–ट्रस्ट/न्यास प्रबन्धक द्वारा अध्यक्ष की सहमति से प्रतिदिन कार्यो को करने व देखभाल के लिए एक एवं आवश्यकता होने पर अधिक सचिवों की नियुक्ति कर सकता है जो इस समय पर ट्रस्ट के कार्यो का देखभाल करने के लिए **श्री निलेश कुमार श्री उदय राज कोषाध्यक्ष** नियुक्ति किये जाते है।

24. **ट्रस्ट/न्यास के रिकार्ड व अभिलेखः**– सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक, लेजर, बाउचर, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर आदि ट्रस्ट के अभिलेख होगे। जो ट्रस्ट के कार्यालय में रहेगा

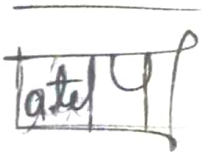
25. **अनुशासनात्मक कार्यवाही**– ट्रस्ट/न्यास के तथा ट्रस्ट के अधिनस्थ किसी संस्था या समिति के किसी सदस्य कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति करेगी।

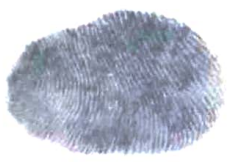
26. **वाद–विवाद प्रतिवाद** – समस्त प्रकार के वादो तथा प्रतिवादो का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश रहेगा तथा ट्रस्ट/न्यास दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद–विवाद तथा प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होगे व्यक्तिगत नाम से नही होगें और ट्रस्ट इस प्रकार के वाद–प्रतिवाद की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है। तथा अपना कानूनी सलाहकार नियुक्ति कर सकता है।

27. **परियोजनाओं के संचालन में** :– ट्रस्ट/न्यास सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं एवं परियोजनाओं का संचालन ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है जो कि भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त, जिलों, तहसील या ग्रामो में चलायी जायेगी।

28. **पदों का सृजन**– ट्रस्ट/न्यास आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमो के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनित कर सकता है।

29. **ट्रस्ट/न्यास का विस्तार** :– **सोशल वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट** अपने कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त या जिले में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर सकता है।





भारत सरकार
Government of India



प्रशांत कुमार पटेल
Prashant Kumar Patel
जन्म तिथि/DOB: 11/07/1990
पुरुष/ MALE

5240 2030 9491
VID : 9151 0944 8475 7986
मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O: रंजीत पटेल, 06, जहानसपुर, जहान्सापुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222143

Address:
S/O: Ranjeet Patel, 06, jahansapur, Jahansapur, Jaunpur, Uttar Pradesh - 222143

Download Date: 28/12/2022

5240 2030 9491
VID : 9151 0944 8475 7986

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

PRASHANT KUMAR PATEL

RANJEET PATEL

11/07/1990
Permanent Account Number
BPTPP5413B



Signature

09062011

भारत सरकार
Government of India



अमर प्रसाद
Amar Prasad
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1980
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं ।
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/ ऑफलाइन एक्सएमएल की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए ।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML).

3657 8222 9381

मेरा आधार, मेरी पहचान

Details as on: 14/01/2026

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O: शम्भूनाथ, 39, जहांसापुर, जहांसापुर, मछली शहर, मछलीशहर, मछली शहर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222143

Address:
S/O: Shambhunath, 39, Jahansapur, Jahansapur, Machhali Shahar, Machhlishahr, PO: Machhali Shahar, DIST: Jaunpur, Uttar Pradesh - 222143

3657 8222 9381
VID : 9115 4230 8200 1305

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

Amar Prasad

30. **लेखा–जोखा (आडिट) :–** **आर्थिक वर्ष के उपरान्त** ट्रस्ट/न्यास अपने लेखा जोखा को चुस्त–दुरुस्त और उसकी आडिट भी करायेगा आवश्यकता पड़ने पर अपने खर्चे से ट्रस्ट/न्यास के पदाधिकारियों/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से आडिट करायेगा तथा उसका लेखा जोखा भी रखेगा। चार्टर एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) की मद्द भी ले सकता है।

वर्तमान समय में ट्रस्ट के नाम से 11,000/– रू0 के अलावा कोई चल–अचल सम्पत्ति नही है।

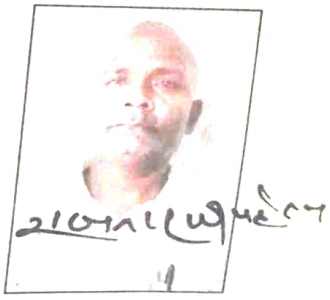
हस्ताक्षर न्यासकर्ता/प्रबन्धक मैनेजिंग ट्रस्टी
प्रशांत कुमार पटेल पुत्र रणजीत पटेल निवासी
ग्राम–जहॉसापुर, पोस्ट–खजुरहट,
तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर उत्तर
प्रदेश–222143
आधार नम्बर–524020309491
मो0नं0–9451520258

मसविदाकर्ता –
सूरज पटेल एडवोकेट
तहसील–मछलीशहर, जौनपुर

टाईपकर्ता
राकेश कुमार
दिनांक–13.10.2026



गवाहः–1
अमर प्रसाद पुत्र शम्भूनाथ
नि0 ग्राम–जहॉसापुर, पोस्ट–खजुरहट
परगना–घिसुआ, तहसील–मछलीशहर,
जिला–जौनपुर मो0नं0–6306613931



गवाहः–2
राज नारायण पटेल पुत्र बृज लाल पटेल
निवासी ग्राम–जहॉसापुर, पोस्ट–खजुरहट
तहसील–मछलीशहर, जिला–जौनपुर
मो0नं0–9918606775

आवेदन सं०: 202600983009[illegible]

बही संख्या 4 जिल्द सख्या 82 के पृष्ठ 267 से 294 तक क्रमांक 76 पर दिनाँक 13/10/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिमा
उप निबंधक : मछलीशहर
जौनपुर
13/10/2026